



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/169

:-आदेश:-

दिनांक 25-4-2025

प्रार्थीया के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र प्रति, आधार कार्ड प्रति, जन आधार कार्ड प्रति व राशन कार्ड प्रति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सादडा तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 362 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सादडा	362	सुमित्रा पुत्री चतराराम	सुमन कुमारी उर्फ सुमित्रा पुत्री चतराराम



कमांक/कोर्ट/2025/411-413.

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का लाटाडा को पालनार्थ।
3. प्रार्थीया सुमन कुमारी उर्फ सुमित्रा पुत्री चतराराम जाति मेघवाल निवासी सादडा तहसील बाली को सूचनार्थ।

3
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 01-5-2025

3
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहा. कलक्टर, बाली